न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 12/2021
दायर दिनांक : 22/02/2021
निर्णय दिनांक : 04/11/2025

उनवान

1. ईशाक खां पिता अल्लानूर मेवाती मुसलमान निवासी सांवता तहसील भूपालसागर
2. मसीती बाई पुत्री अल्लानूर मेवाती मुसलमान निवासी सांवता तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1. उल्फत पुत्री केसर मेवाती मुसलमान पत्नी हसन खां मेवाती मुसलमान निवासी सांवता हाल उपरेडा तहसील राशमी
2. मुन्ना पुत्री केसर खां मेवाती मुसलमान निवासी सांवता पत्नी नसीर खां मुसलमान हाल निवासी उपरेड़ा तहसील राशमी
3. सरीती पुत्री केसर खां मेवाती मुसलमान निवासी सांवता पत्नी साबिर खां मुसलमान निवासी राशमी मस्जिद के पास, तहसील राशमी
4. पटवारी, पटवार हल्का भूपालनगर डाबर
5. तहसीलदार एवं उपपंजीयक, भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री अभय चपलोत , अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री देवीलाल जाट, अधिवक्ता अप्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :

यह कि उक्त उनवान का वादपत्र श्रीमान् के न्यायालय में पेश कर दिया जिस पर कुलिया सुनवाई होने में समय लगेगा। वाके ग्राम सांवता पटवार हल्का भूपालनगर तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में हाल आ.सं. 327 रकबा 0.11 हे. स्थित है जो वर्तमान में खातेदार उल्फत, नीरी मुन्ना, सरीती के खातेदारी में दर्ज है। जिसमें से खातेदारी नीरी लाऔलाद फौत हो चुकी है तथा बकाया खातेदार अप्रार्थी सं. 1 से लगायत 3 हैं। उक्त हाल आराजी नं. 327 के साबिक आराजी नं. 199 रकबा 10 बिस्वा स्थित थे तथा उक्त साबिक आराजी अप्रार्थी सं. 1, 2, 3 एवं मृतक नीरी के खातेदारी में दर्ज थी। जिन्होने प्रार्थीगण के पिताजी अल्लानूर पिता फतेहमोहम्मद खां को दिनांक 18.03.1985 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र विक्रय कर दी थी। उक्त साबिक आराजी का विक्रयपत्र पंजीयन कराने के बाद क्रेता अल्लानूर ने साबिक ईन्तकाल नं. 502 के जरिये अपने नाम पर नामान्तरण दर्ज करा दी थी तथा साबिक जमाबंदी सम्वत् 2037 से 2040 की नकल जमाबंदी में प्रार्थीगण के पिताजी के नाम पर उक्त साबिक आराजी [illegible] थी तथा बहैसियत खातेदार प्रार्थीगण के पिताजी काबिज हो गये तथा उसके [illegible] 993 में प्रार्थीगण के पिताजी की मृत्यु हो गई थी. जिससे उनकी मृत्यु [illegible] काबिज होकर आज भी काश्त कर रहे हैं। सेटलमेंट होने के बाद [illegible] वर्ष 2051 [illegible] जो नकल जमाबंदी [illegible] है उसमें सेटलमेंट कर्मचारियों ने गलती से प्रार्थीगण के पिताजी [illegible] प्रार्थीगण का नाम [illegible] नहीं करके

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.11.12 11:58:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

पुनः विकेता के खातेदारी में दर्ज कर दी गई है, जो आज दिन तक विकेतागण के खातेदारी में ही चली आ रही है। प्रार्थीगण ग्रामीण व्यक्ति होकर कम पढ़े लिखे होने के कारण रेवेन्यू रिकार्ड की जानकारी नहीं रही तथा अब जब अपने खातेदारी की नकले दिनांक 25.01.2021 को रेवेन्यू कर्मचारियों से प्रापत की तो पता चला कि उक्त सावेक आ.सं. 199 जिसके हाल आ.सं. 327 बने हैं वो प्रार्थीगण के खातेदारी में नहीं होकर अप्रार्थी सं. 1, 2, 3 एवं मृतक नीरी के खातेदारी में चल रही है उक्त जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने पुराना रेवेन्यू रिकार्ड निकलवाया तथा अप्रार्थी सं. 4, 5 को उक्त आराजियात खातेदारी में दर्ज करने बाबत कहा तो कानूनी अड़चन होने के कारण प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज करने से मना कर दिया तथा अप्रार्थी सं. 1, 2, 3 ने भी प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज कराने में आनाकानी की है तथा अन्तिम बार दिनांक 01.02.2021 को मना करदिया तथा आराजी को रहन, बह करने की धमकी दी तथा कब्जे से बेदखल करने की भी धमकी दी। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जाना आवश्यक है कि अप्रार्थी सं. 1, 2, 3 प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से दखलअन्दाजी नहीं करें तथा आराजी को रहन, बह, बक्षीस, वसीयत नहीं करेत था किसीप्रकार से खुर्द बुर्द नहीं करे तथा अप्रार्थी सं. 4, 5 के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी कराया जाना आवश्यक है कि वो उक्त विवादित आराजी का किसी भी अन्य व्यक्ति के पक्ष में कोई भी दस्तावेज पंजीयन नहीं करे, नामान्तरण नहीं खोले तथा नामान्तरण फैसल नहीं करे ऐसा अप्रार्थीगण न स्वयं करे न अपने परिवारजन, नौकर एजेन्ट आदि से करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण सं. 1 से की ओर से वकील श्री देवीलाल जाट ने अधिकार पत्र पेश किया। वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया, जवाब बंद किया जाकर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी एवं उपस्थित पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार ने राजपक्ष प्रभावित नहीं होना बताया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई, हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजों का अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थी सम्पूर्ण तथ्यों, बहस के आधार पर एवं प्रार्थीगण के प्रार्थना के तथ्य अनुसार प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन साबित कर पाऐ है तथा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी एवं न्यायिक दृष्टांत से प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक दोनों पक्ष राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखेगें। निर्णय आज दिनांक 04.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.11.12 11:58:23 IST
Reason: SelfAttested